भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2691

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2024

पारसी समुदाय

2691. सुश्री कंगना रनौत:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अल्पसंख्यक समुदायों को इससे क्या लाभ होते हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास वास्तविक अल्पसंख्यक पारसी समुदाय जोकि भारतीय जनसंख्या का 0.0006 प्रतिशत है और जो विलुप्त होने के कगार पर है और जिन्होंने भारतीय विकास में काफी योगदान दिया है को संरक्षित करने की कोई योजना अथवा तंत्र हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

1. शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

2. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) पीएम विकास योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं जिनका लक्ष्य लक्षित लाभार्थियों के लिए रोजगार क्षमता में सुधार और बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में सहायता करना है।

क) कौशल और प्रशिक्षण घटक

ख) महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक

ग) शिक्षा सहायता घटक (स्कूल ड्रॉपआउट के लिए)

इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है।

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के "पिछड़े वर्गों" को स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।

3. अवसंरचना विकास योजनाएं

i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

4. विशेष योजनाएं

(i) जियो पारसी : भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को बदलने हेतु योजना

(ii) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)

इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी योजनाओं ने उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।

(ख) से (घ): जियो पारसी योजना 2013-14 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत क्रियाकलापों को अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रूझान को बदलना, उनकी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसियों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना है। इस योजना के तीन घटक हैं:

i) चिकित्सा सहायता - मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

ii) पक्ष-समर्थन - प्रजनन संबंधी समस्याओं वाले दंपतियों को काउंसलिंग प्रदान करना तथा कार्यशालाओं सहित प्रचार करना; और

iii) समुदाय का स्वास्थ्य - पारसी दंपतियों को बच्चों की देखभाल और आश्रित बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड में सहायता सीधे लाभार्थियों को जारी की जा रही है। योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

इस योजना में मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा नियमित निगरानी तथा योजना के लाभों और परिणामों का आकलन करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन का प्रावधान है।
